

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 185 /स्था/अराज/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14.03.2024

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित समूह 4 के अन्तर्गत सहायक ग्रेड-3 की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती बैकलाग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 परिणाम की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतनमान लेवल-7, रू. 19500-62000/- एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार प्रथम तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र	कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना	श्रेणी / प्रावीण्य सूची क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दशरथ वर्मा पिता श्री सुकन वर्मा ग्राम रेलवॉखुर्द पोस्ट खजूरी तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.) पिनकोड 451449	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बुरहानपुर	अनु. जनजाति ओपन अस्थी बाधित श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-01
2	सुश्री मोहिता डावर पिता श्री भारत सिंह डावर दुर्गा मंदिर कॉलोनी बाकानेर, तह. मनावर जिला धार (म.प्र.) पिन कोड 454446	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वि./यां. परिक्षेत्र भोपाल	अनु. जनजाति महिला श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-01
3	सुश्री अनिता बघेल पिता श्री रणजीत बघेल ग्राम रापलीपुरी पठार पोस्ट पुंजापुरा उदयनगर जिला देवास (म.प्र.) पिन कोड 455227	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड इन्दौर	अनु. जनजाति महिला श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-02
4	सुश्री मनिषा निंगवाल पिता श्री छगन सिंह निंगवाल ग्राम जामदा (मोहल्ला उकलपुरा) पोस्ट धरमराय तह. डही जिला धार (म.प्र.) पिन कोड 454331	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर जिला धार	अनु. जनजाति महिला श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-03
5	श्री धनराज डामोर पिता श्री वरसिंह डामोर ग्राम पिलियाखदान पोस्ट रोटला जिला झाबुआ पिन कोड 457661	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र जबलपुर	अनु. जनजाति ओपन श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-02
6	श्री सुनील भेंवर पिता श्री मनोहर भेंवर 99 विला ग्राम बडिया पोस्ट अवलदमन तह गंधवानी जिला धार पिन कोड 454446	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल	अनु. जनजाति ओपन श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-03

14-3-2024

क्र	कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना	श्रेणी / प्रावीण्य सूची क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री छोदूसिंह चौहान पिता श्री भुवान सिंह चौहान 246 ग्राम अजन्दीमान, पोस्ट-जाटपूर, तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) पिन कोड 454446	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल	अनु. जनजाति ओपन श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-05
8	श्री आनसिंह गेहलोद पिता श्री नवल सिंह गेहलोद 01 ग्राम धनोरा, पोस्ट-सडकपुरा, जीराबाद गंदवानी जिला धार (म.प्र.) पिन कोड 454446	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल	अनु. जनजाति ओपन श्रेणी सीधी भर्ती बैकलाग प्रावीण्य सूची क-06

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-


- (1) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवानियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूली योग्य होगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019 /3/एक दिनोंक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टापपैड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (3) उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- (4) यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (5) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- (6) चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (7) संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- (8) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करें।

[Handwritten Signature]
14-3-2019

- (9) चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/ संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षा संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा ।
- (10) चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी एवं मण्डल/खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों में पदस्थ किये अभ्यर्थियों का वरिष्ठता क्रम अराजस्तरीय संवर्ग में संधारित किया जायेगा ।
- (11) चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (12) नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच/अमांग प्रमाण पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (13) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003/नियम चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
- (14) यह नियुक्ति आदेश जारी होने के पंद्रह दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धार 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा ।


14.3.2024

(के.के.सोनगरिया)

प्रमुख अभियंता

भोपाल दिनांक 14-3-2024

पृ.क्रमांक/ 2492 /स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. निज सहायक प्रमुख अभियंता, कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र की ओर प्रेषित कर लेख है कि मण्डल/खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों में पदस्थ किये अभ्यर्थियों का वरिष्ठता क्रम अराजस्तरीय संवर्ग में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
7. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल मध्यप्रदेश ।
8. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड म.प्र.। पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति के समय भी अर्हता एवं जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच कराकर ही उपस्थिति स्वीकार करे।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला की ओर सूचनार्थ !
10. प्रभारी, स्थापना जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभागीय चिकित्सा बोर्ड ।
12. संबंधित श्री/सुश्री..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश नस्ती ।


14.3.2024

प्रमुख अभियंता